

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

हंसराज पिता जीता कुम्हार निवासी धान्धोला हाल निवासी देवली
बनाम

नंदा पिता जीता कुम्हार निवासी धान्धोला वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 180 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
01.05.24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम धान्धोला प.ह. कुराडिया आराजी सं. 1420/640, 1648/461, 1651/182, 1653/454, 1655/461, 637/2, 1650/461 कुल किता 07 रकबा 1.6986 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है ग्राम धान्धोला प.ह. कुराडिया आराजी सं. 1420/640, 1648/461, 1651/182, 1653/454, 1655/461, 637/2, 1650/461 कुल किता 07 रकबा 1.6986 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 01/05/2024

क्रमांक/रीडर/2024/ 180 /2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 180 / 2024 अनवान हंसराज पिता जीता कुम्हार निवासी धान्धोला हाल निवासी देवली ब्रजाम नंदा पिता जीता कुम्हार निवासी धान्धोला, प्रहलाद पिता सुवा कुम्हार निवासी धान्धोला, शैतान पिता सुवा कुम्हार निवासी धान्धोला, भूरी पत्नी सुवा कुम्हार निवासी धान्धोला, नंदलाल पिता रामस्वरूप कुम्हार निवासी धान्धोला, कैलाश पिता रामदेव लौहार निवासी कुराडिया, सुरज्या पिता माधु भील निवासी कुराडिया, हरनाथ पिता काना मीणा निवासी धान्धोला, सोहनलाल पिता कन्हैयालाल शर्मा निवासी धान्धोला, अंबरलाल पिता किस्तूरचंद शर्मा निवासी धान्धोला, अमरचंद पिता भेरूलाल माली निवासी जहाजपुर, सत्यनारायण पिता जगदीश शर्मा निवासी धान्धोला, बद्रीलाल पिता जगदीश शर्मा निवासी धान्धोला, गोपाल पिता चांदमल भारती निवासी धान्धोला, उकार पिता भूरालाल भारती निवासी धान्धोला की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम धान्धोला प.ह. कुराडिया आराजी सं. 1420/640, 1648/461, 1651/182, 1653/454, 1655/461, 637/2, 1650/461 कुल कित्ता 07 रकबा 1.6986 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी नौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योन में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा